UPEW010020612026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–01 इटावा।

पीठासीन अधिकारी-श्री अखिलेश कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

Jo- Code UP6281

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–629/2026

विकास कुशवाहा, उम्र करीब 29 वर्ष, पुत्र कन्हैया लाल, निवासी–रेलवे गेट नं० 26 बी अड्डा श्याम लाल, थाना फ्रेण्ड्स कालोनी, जिला इटावा।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य आदि

अ०सं०–677/2016

धारा–411, 413, 420, 467, 468, 471 IPC

थाना–फ्रेण्ड्स कालोनी, जिला–इटावा।

दिनांक–06.04.2026

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त विकास कुशवाहा की ओर से, अ०सं०–677/2016, धारा 411, 413, 420, 467, 468, 471 IPC , थाना–फ्रेण्ड्स कालोनी, जिला–इटावा में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 30.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है।

2– अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता जमानत के आधार में मय शपथपत्र गीता देवी यह कथन किया गया है कि आवेदक उपरोक्त मुकदमा में न्यायालय के द्वारा पूर्व मं जमानत पर रिहा किया गया है। आवेदक के पूर्व में बीमार हो जाने कारण, न्यायालय में नियत तिथि को उपस्थित नही आ सका, जिस कारण उसके विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट निर्गत हो गया। आवेदक प्रतिभू मुक्त होने पर अपनी प्रतिभू का दुरुपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गयी है।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

5– सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अभियुक्त पूर्व से जमानत पर रहा है। न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारण्ट के निष्पादन में थाना पुलिस द्वारा जेल भेजा गया है, दिनांक 30.03.2026 से अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। चूँकि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर रहा है, उसके बीमार हो जाने के कारण न्यायालय में अनुपस्थिति रहने पर उसके विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तों पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by AKHILESH KUMAR
Date: 2026.04.06 17:30:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **विकास कुशवाहा** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 1,00,000/–(एक लाख) रूपये का नवीन स्वबन्ध पत्र एवं समान धनराशि की दो नवीन प्रतिभू प्रस्तुत करने पर पुनः जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त की ओर से आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत की जाए किः–

I– वह नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आयेगा तथा विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त हाजिरी मांफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

II– साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

III– न्यायालय की कार्यवाही में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा तथा जिरह के स्तर पर जिरह करेगा।

IV– न्यायालय की बिना अनुमति के अपना निवास स्थान नहीं छोड़ेगा।

(अखिलेश कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
इटावा।